jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM
¼Hkkjr ljdkj dk miØe½
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
वेबसाईट: www.indiaseeds.com
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः अनूपगढ़, राजस्थान–335702
ईमेल– ***csf.jetsar@indiaseeds.com***

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702
E-mail- ***csf.jetsar@indiaseeds.com***

पत्रांक के.रा.फा./जैत/कृषि/10–9/भाग–3(कटाई)/2023–24 दिनांकः 31.01.2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-अनूपगढ़(राज.) **पर रबी** 2023-24 **के दौरान बिजाई की गई, जिसमे** सरसों 1658.00 एकड़, तोरिया 59.00 एकड, चना 134.00 एकड व मूली 9.00 एकड **मे बोई गई फसलों की कटाई व गहाई से संबंधित** सभी कार्यो **हेतु** फसलवार **चकवार निविदायें दिनांक** 22-02-2024 **को** ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। अन्य नियम शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com **पर देखी जा सकती है, जिस पर ई–निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है। आगे कोई भी सूचना एवं शुद्धिपत्र होगा तो, वेबसाईट** www.indiaseeds.com **तथा ई–पोर्टल** https://indiaseeds.enivida.com **पर ही डाला जायेगा।**

कृते फार्म प्रमुख

Particulars	Details
Date of issue of NIT	**31.01.2024**
Date and time for submission of online bid	**From 01.02.2024 10:00 AM To 22-02-2024 02.30 PM**
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	**22.02.2024 on 3:00 PM**
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	**Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)**
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	**Rs. 5,000/- per chak per crop.**
Address for communication	**Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)**
Contact Person (with Phone No. & Email)	**Incharge (Prodn.) Phone No.- 01498-261261, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com**

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

III. Bidders must have a valid email id and mobile number.

IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to

XV. local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

XVI. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

XVII. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

XVIII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

XIX. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

XX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

XXI. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत/10–41/कृषि/2023–24/ दिनांक 31.01.2024

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	**Details**
Name of the E-Tenderer	
Father name of the E-Tenderer	
Full address of the E-Tenderer	
Mobile number of the E-Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	
Signed copy of term & condition.	

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्ते
(सरसों व तोरिया के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए रू0 5000/ – (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि राष्टोय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते मे Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884) प्रत्येक चक की निविदा अलग–अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर प्रति एकड़ दो से तीन बडे–बडे ढेर/मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डलो व्यवस्थित ढंग से लगानी होगी। ठेकेदार को अपने निजी थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई कार्य कराना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा। एवं कटाई गहाई से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पुर्ण करने होंगें।
3. यदि ठेकेदार फसल के ऐरिया की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है तो निविदा स्वीकृत हाते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
4. यदि ठेकेदार फसल के एरिये की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है एवं निविदा में स्वीकृत धनराशि को नियम व शर्त संख्या 3 के अनुसार जमा करवाने में किसी कारणवंश देरी करता है तो अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
5. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख–रेख व दिशा निदेश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा, एवं जिन मुरब्बों में खरपतवार है वहॉ पर भी चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की दिशा निर्देशानुसार कटाई आवश्यकतानुसार ऊपर से करनी होगी।
6. गहाई (थ्रेसिंग) की गयी फसल का नीरा पूर्णतया दाना रहित होना चाहिए एवं थ्रेसर के आरपीएम भी चक प्रभारी व खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार रखने होगे ताकि दाना नीरा गुना मे न जाये तथा उसका बकाया पूरा पैसा जमा होने पर एवं मुरब्बा पुरा थ्रेसिंग होने के बाद संतोषजनक कार्य होने पर ही गेट–पास जारी कर नीरा–गुणा ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था मे आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा ।
8. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूडी, नीरा, पल्लर को सात दिन मे हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलां की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूडी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल/भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुॅचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा समस्त जमा राशि, धरोहर राशि, अन्य देय राशि व तूडी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
11. ठेकेदार को समस्त कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही उसकी जमा धरोहर राशि वापस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
13. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
14. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए

पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्ते</u>

(चना व अन्य फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए रू0 5000/ – (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते मे Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। **IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884)** प्रत्येक चक की निविदा अलग–अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था मे आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बडे–बडे ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के अधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वंय के प्रर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थ्रेसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख–रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूडी, नीरा, पल्लर सात दिन मे हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूडी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुॅचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूडी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी कीया जायेगा।
11. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्ते
(सब्जी वाली फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए रू0 5000/ – (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते मे Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। **IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884)** प्रत्येक चक की निविदा अलग–अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था मे आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बडे–बडे ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के अधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वंय के प्रर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थ्रेसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख–रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूडी, नीरा, पल्लर सात दिन मे हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूडी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुॅचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूडी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल किया जायेगा। तथा भविष्य में उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।

11. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी कीया जायेगा।
12. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई

दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

Financial Bid

To
The Farm Head,
Central State Farm, Jetsar

Sir,

As per the tender notice CSF/JTS/Agri/10-9/Part-3(Harv.)/2023-24 dated on 31-01-2024 issued from your office for Harvesting of Rabi-2023-24 crops. I have carefully read & understood the terms and conditions and i am accepting the same. For that i am proposing the following rates (Rupees per acre) for harvesting of Mustard & Toria crops sown in different chaks of block 1, 2 & 3. According to the terms and conditions, I will take neera-gunna/pallar after completion of harvesting work.

Crop	Block	Chak	Area in acre	I will take Nira-Guna/pallar and the proposed rate in Rs. Per acre	
				I Will give the Amount per acre to the Farm and I will do thresing with my thresher.	I Will take the Amount per acre From the Farm and I will do thresing with my thresher.
Mustard	1	1 BGD- A	155.00		
		1 BGD-B	130.00		
		3 BGD	393.00		
Total			**678.00**		
Mustard	2	4 MGM Pivot, IWM-II Pivot A, 6 MGM	207.50		
		2 MGM, Pivot, 3 MGM Pivot	184.50		
Total			**392.00**		
Mustard	3	1-5 MGM	236.00		
		IWM-I	166.00		
		9-10 SAD	186.00		
Total			**588.00**		
G. Total			**1658.00**		

Crop	Block	Chak	Area in acre	I will take Nira-Guna/pallar and the proposed rate in Rs. Per acre	
				I Will give the Amount per acre to the Farm and I will do thresing with my thresher.	I Will take the Amount per acre From the Farm and I will do thresing with my thresher.
Toria	2	2 MGM, Pivot, 3 MGM Pivot	15.00		
Total			**15.00**		
Toria	3	1-5 MGM	28.00		
		9-10 SAD	16.00		
Total			**44.00**		
G. Total			**59.00**		

Note:- The above area can be increased or decreased as per the requirement.

So I am requesting to you, kindly issue me the work order. I will complete the work on time as per the terms and conditions.

Date ....
PAN No. ....

Name...
Signature ....
Address...
....
Phone/Mobile No...............................
PIN No________________________

Financial Bid

To
The Farm Head,
Central State Farm, Jetsar

Sir,

As per the tender notice CSF/JTS/Agri/10-9/Part-3(Harv.)/2023-24 dated on 31-01-2024 issued from your office for Harvesting of Rabi-2023-24 crops. I have carefully read & understood the terms and conditions and i am accepting the same. For that i am proposing the following rates (Rupees per acre) for harvesting of Gram crops sown in different chaks of block 1, 2 & 3. According to the terms and conditions, I will take neera-gunna/pallar after completion of harvesting work.

Crop	Block	Chak	Area in acre	I will take Nira-Guna/pallar and the proposed rate in Rs. Per acre	
				I Will give the Amount per acre to the Farm and I will do thresing with Farm thresher.	I Will take the Amount per acre From the Farm and I will do thresing with Farm thresher.
Gram	2	4 MGM pivot, IWM-II pivot-A, 6 MGM	26.00		
		2,3 MGM Pivot, 3 MGM	27.00		
Total			**53.00**		
Gram	3	1-5 MGM	31.00		
		IWM-I	50.00		
Total			**81.00**		
G. Total			**134.00**		

Note:- The above area can be increased or decreased as per the requirement.

So I am requesting to you, kindly issue me the work order. I will complete the work on time as per the terms and conditions.

Date ....
PAN No. ....

Name……………………………………
Signature ....
Address……………………………………
……………………………………………………
Phone/Mobile No.…………………………
PIN No________________________

Financial Bid

To
The Farm Head,
Central State Farm, Jetsar

Sir,

As per the tender notice CSF/JTS/Agri/10-9/Part-3(Harv.)/2023-24 dated on 31-01-2024 issued from your office for Harvesting of Rabi-2023-24 crops. I have carefully read & understood the terms and conditions and i am accepting the same. For that i am proposing the following rates (Rupees per acre) for harvesting of Gram crops sown in different chaks of block 1, 2 & 3. According to the terms and conditions, I will take neera-gunna/pallar after completion of harvesting work.

Crop	Block	Chak	Area in acre	I will take Nira-Guna/pallar and the proposed rate in Rs. Per acre	
				I Will give the Amount per acre to the Farm and I will do thresing with Farm thresher.	I Will take the Amount per acre From the Farm and I will do thresing with Farm thresher.
Radish	2	EPO	5.00		
		3 MGM	2.00		
	3	9-10 SAD	2.00		
Total			**9.00**		

Note:- The above area can be increased or decreased as per the requirement.

So I am requesting to you, kindly issue me the work order. I will complete the work on time as per the terms and conditions.

Date ....
PAN No. ....

Name...
Signature ....
Address...
....
Phone/Mobile No...............................
PIN No________________________